

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 173826121021053111

Date : 12-10-2021

प्रभासी : प्रथम तिमाही 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री HEMLATA SAHA W/O SHIV SHANKAR PRASAD SAH,
मोहल्ला KOLAKUSMA SARAI DHELA DHANBAD DHANBAD
DHANBAD , 828111
8050505529

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0230005910000M0 वार्ड सं० 23 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

| स्व-निर्धारित कर की सूचना | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| क्रम सं० | Particulars | Amount (In Rs.) |
| 1. | गृह कर | 125.00 |
| 2. | जल कर | 0.00 |
| 3. | शौचालय कर | 0.00 |
| 4. | बिजली कर | 0.00 |
| 5. | अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण) | 0.00 |
| कुल राशि (प्रति तिमाही) | | 125.00 |



Shiv Shankar Prasad Saha

To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, uda.dhnbkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- शिवमशाली संडिक्क 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
सिद्धांत ही जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निम्न को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो कटौतता को 5% की शिवालय दी जाएगी।
- किसी देय धृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा सम्यक निगम कला सकती है एवं तथ्य गतता पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित राशि (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संपन्नित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/डांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने नातिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होलिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विनिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print